

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही
18.06.2024	उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, साहेबगंज। आर0एम0पी0 (अनुमति) वाद संख्या- 02/2022-23 कृष्णावती देवी -बनाम- 16 आना रैयत मौजा- बरहेट बाजार। <u>-: आदेश :-</u> प्रस्तुत अनुमति वाद आवेदिका कृष्णावती देवी, पति- सूर्यनारायण भगत, सा0- पंचकटिया, थाना- बरहेट, जिला- साहेबगंज के द्वारा जमीन बिक्री हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। जमीन की विवरणी:- मौजा- बरहेट बाजार, थाना नं0- 30, तौजी नं0- 599, जमाबंदी नं0- 38 व 181, दाग नं0- 545, कुल रकवा- 11 धूर एवं दाग नं0- 547, रकवा- 02 कठ्ठा 09 धूर कुल रकवा- 03 कठ्ठा। चौहद्दी:- उत्तर:- सूर्यनारायण भगत दक्षिण:- रास्ता पूरब:- खुशीलाल भगत पश्चिम:- अन्नत नाथ, आलोक नाथ आवेदन का अवलोकन किया। वाद अंगीकृत करते हुए 16 आना रैयत मौजा- बरहेट बाजार को नोटिस निर्गत की गई एवं अंचल अधिकारी, बरहेट को इस न्यायालय का ज्ञापांक- 474/डी0बी0, दिनांक- 28.09.2022 से प्रतिवेदन की मांग की गई। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। 16 आना रैयत के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। अंचल अंचल अधिकारी, बरहेट के पत्रांक- 291/रा0, दिनांक- 04.05.2024 के द्वारा मौजा- बरहेट बाजार के प्रतिवेदन समर्पित किया गया। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका अंचल बरहेट, थाना नं0- 30, तौजी नं0- 599, जमाबंदी नं0- 38 व 181, दाग नं0- 545, कुल रकवा- 11 धूर एवं 547, रकवा- 02 कठ्ठा 09 धूर कुल रकवा- 3 कठ्ठा। जिसकी चौहद्दी:- उत्तर- सूर्यनारायण भगत, दक्षिण- रास्ता, पूरब- खुशीलाल भगत, पश्चिम- अन्नतनाथ आलोकनार्थ। उक्त भूमि को आवेदिका ने दिनांक- 11.09.1989 को बिक्री केवाला के माध्यम से क्रय किया है और दखल भोग में है। जमीन बसौड़ी, है तथा 03 (तीन) कठ्ठा भूमि पर आवेदिका का 02 तल्ला मकान बना हुआ है। सरकारी पंजी- 11 में आवेदिका का नाम दर्ज है, जिसकी सरकारी लगान का भुगतान आवेदिका के द्वारा की जा रही है। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सांसारिक खर्च की पूर्ति के लिए रुपये की आवश्यकता आ पड़ी। जिसके फलस्वरूप अपनी भोग दखली वाली भूमि 03 कठ्ठा क्रेता के पास 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र	

11